

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्रीमती अनिता पुनिया लुणायच पत्नी श्री घासीराम लुणायच, वार्ड नं.12 नंई ब्राह्मण धर्मशाला के पास सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायरं की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्रीमती अनिता पुनिया लुणायच द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्रीमती अनिता पुनिया लुणायच द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जॉच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रभाना-पत्रों की जॉच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्रीमती अनिता पुनिया लुणायच के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की भाँग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्रीमती अनिता पुनिया लुणायच द्वारा की गई भाँग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्रीमती अनिता पुनिया-लुणायच द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।


(निधमल डिडेल)
ग्रामपाल


निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23.2.2018

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/ श्री-3/ कोके/ या019179/ कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/ श्री-2/ जय/ 29900/ आई/ 17/ 06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्रीमती अनिता पुनिया लुणायच पत्नी श्री घासीराम लुणायच, वार्ड नं.12 नंई ब्राह्मण धर्मशाला के पास सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

www.rajteachers.com


नियुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश


श्री अजय कुमार भार्गव पुत्र श्री महादेव प्रसाद, वार्ड न-20, पंजाब नेशनल बैंक के पास, भगवती राईस मिल के सामने, जिला हनुमानगढ़ ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री अजय कुमार भार्गव द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री अजय कुमार भार्गव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थीयों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जॉच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जॉच उपरान्त आदेश दिनांक 13.01.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री अजय कुमार भार्गव के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्ति प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री अजय कुमार भार्गव द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री अजय कुमार भार्गव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



 (निशत मल डिडेल)
अर्द्धसंस्कृत
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23.02.18

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या०19179/कृष्णलाल व अन्य/17/
 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक) / जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुमांग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री अजय कुमार भार्गव पुत्र श्री महादेव प्रसाद, वार्ड न-20, पंजाब नेशनल बैंक के पास, भगवती राईस मिल के सामने, जिला हनुमानगढ़

www.rajteachers.com


 (सूर्यकंत निदेशक (कार्मिक))
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री कुलदीप यादव पुत्र श्री गोपी राम, वी-७एलएल, चक ५एल आई, जिला श्रीगंगानगर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179 / 2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा हासा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारान स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री कुलदीप यादव द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री कुलदीप यादव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अध्यर्थीयों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जॉच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्त आदेश जारी किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जॉच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्त प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री कुलदीप यादव के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री कुलदीप यादव द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरिष्ठता वाले अध्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री कुलदीप यादव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

(निशतुल छोड़ेल)

आईएल

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23-02-18

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-३/कोके/या०१९१७९/कृष्णलाल व अन्य/१७/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. अनुमान अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-२/जय/29900/आई/१७/०६ दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री कुलदीप यादव पुत्र श्री गोपी राम, वी-७एलएल, चक ५एल आई, जिला श्रीगंगानगर

www.rajteachers.com

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश


श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री करना राम, वार्ड नं-25, रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा परित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री ओम प्रकाश द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री ओम प्रकाश द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रभान्य-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री ओम प्रकाश के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री ओम प्रकाश द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं कात्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री ओम प्रकाश द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सर्वाधित सभी सूचित हो।



(निश्चल पेटेल)

आईएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 23-2-18

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. सनस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री करना राम, वार्ड नं-25, रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर


नियुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्रीमती सरोज विश्नोई, पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह विश्नोई, चक 5, एसओ पदमपुर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा परित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्रीमती सरोज विश्नोई, द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्रीमती सरोज विश्नोई, द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा परित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग हारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 13.01.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्रीमती सरोज विश्नोई, के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्रीमती सरोज विश्नोई, द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्रीमती सरोज विश्नोई, द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नियमल हिंडेल)

आईएस

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

कमांक-शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुमान ओ पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/
06 दिनांक 19/12/17 के कम में।
4. श्रीमती सरोज विश्नोई, पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह विश्नोई, चक 5, एसओ पदमपुर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय—आदेश

श्रीमती हेमलता पत्नी श्री संजय कुमार बंसल, वार्ड नं.18, भादरा, जिला हनुमानगढ़ ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्रीमती हेमलता द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्रीमती हेमलता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जौसे—जौसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जॉच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण—पत्रों की जॉच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्रीमती हेमलता के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्रीमती हेमलता द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्रीमती हेमलता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(न्यमल डोले)

आईएस

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 23.02.18

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या०19179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका—माध्यमिक—विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के कम में।
4. श्रीमती हेमलता पत्नी श्री संजय कुमार बंसल, वार्ड नं.18, भादरा, जिला हनुमानगढ़


नियुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय—आदेश

श्री केवल सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह, देवता कॉलोनी, वार्ड नं-20, श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिलों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री केवल सिंह द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री केवल सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थीयों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमैर से जैसे—जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण—पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री केवल सिंह के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री केवल सिंह द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरिष्यता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री केवल सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

(नथपल डिङ्गे)

आईएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 23-02-18

कमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-३/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला शिक्षा अधिका—माध्यमिक—विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुमाग को पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-२/जय/29900/आई/17/
०६ दिनांक 19/12/17 के कम में।
4. श्री केवल सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह, देवता कॉलोनी, वार्ड नं-20, श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

नियुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय—आदेश


श्री सुन्तर राम पुत्र श्री उत्तमा राम, बरिंगा श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा परिस्तित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री सुन्तर राम द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु नियदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री सुन्तर राम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थीयों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री सुन्तर राम के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री सुन्तर राम द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।


अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री सुन्तर राम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निरस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।


(नियमल डिलेल)
जाइरल
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर
दिनांक: 23-02-18

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संख्या/बी-3/कोके/यात्रा 19179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निर्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुमान अधिकारी विधि अनुमान को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/
06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री सुन्तर राम पुत्र श्री उत्तमा राम, बरिंगा श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री महेश कुमार पुत्र श्री भगवान राम, वार्ड नो.02 गोलूबाला निवेदन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मध्य मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्वीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री महेश कुमार द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री महेश कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जॉच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जॉच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री महेश कुमार के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री महेश कुमार द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री महेश कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हों।


(नथमल डिडेल)

आईएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. अनुमांग अधिकारी विधि अनुमांग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/ज्य/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री महेश कुमार पुत्र श्री भगवान राम, वार्ड नो.02 गोलूबाला निवेदन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़


www.rajteachers.com

नियुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री राजेंद्र पाल श्री रामकुमार बिश्नोई, दाणी 28 केएसडी ग्राम पाटिल सादुलशहर जिला श्री गंगानगर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर हासा परित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी हासा हासा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री राजेंद्र पाल हासा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री राजेंद्र पाल हासा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय हासा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थीयों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्त आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग हासा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के हासा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री राजेंद्र पाल के हासा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायीचित है।

याचिकार्थी श्री राजेंद्र पाल हासा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री राजेंद्र पाल हासा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।


(निश्चल डिफेल)


बहुलएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 28-02-18

कमांक:शिविरा/माध्य/संख्या/बी-3/कोर्ट/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक-विधि, जयपुर
- समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
- अनुमान अधिकारी विधि अनुमान को पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/
06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
- श्री राजेंद्र पाल श्री रामकुमार बिश्नोई, दाणी 28 केएसडी ग्राम पाटिल सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

www.rajteachers.com


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्रीमती नम्रता शर्मा पत्नी श्री संजय शर्मा, 4-सी/७-अ जवाहर नगर, गुप्ता नर्सिंग होम के पीछे, जिला श्रीगंगानगर ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका सख्त्या 19179 / 2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय भनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा हासा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्रीमती नम्रता शर्मा हासा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्रीमती नम्रता शर्मा हासा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय हासा पारित निर्णय की पालना हेतु भनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थीयों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जॉच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग हासा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जॉच उपरान्त आदेश दिनांक 10.02.2014 के हासा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्रीमती नम्रता शर्मा के हासा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका सख्त्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्रीमती नम्रता शर्मा हासा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं कात्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्रीमती नम्रता शर्मा हासा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।


(नथमल डिफेल)

आईएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

दिनांक: 23-02-18

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
- समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
- अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
- श्रीमती नम्रता शर्मा पत्नी श्री संजय शर्मा, 4-सी/७-अ जवाहर नगर, गुप्ता नर्सिंग होम के पीछे, जिला श्रीगंगानगर

www.rajteachers.com


नियुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश


श्री प्रकाश चंद्र चाहर पुत्र श्री धन्ना राम, ग्राम पोस्ट आबूसर, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री प्रकाश चंद्र चाहर द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री प्रकाश चंद्र चाहर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अस्थर्थीयों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री प्रकाश चंद्र चाहर के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिकार्थी संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री प्रकाश चंद्र चाहर द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरिष्ठता वाले अस्थर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री प्रकाश चंद्र चाहर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नथमल डिडेल)

आर्जित
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

कमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या०19179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-दिविधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुमाग अधिकारी विधि अनुमाग को पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/
06 दिनांक 19/12/17 को कम में।
4. श्री प्रकाश चंद्र चाहर पुत्र श्री धन्ना राम, ग्राम पोस्ट आबूसर, जिला झुंझनू


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय—आदेश


श्री अशोक कुमार पुत्र श्री उदय सिंह, ग्राम गोवलिया की ढाणी पोस्ट ककोरा चिङ्गावा, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा परित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय भनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्वीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री अशोक कुमार द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री अशोक कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु भनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थीयों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जॉच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण—पत्रों की जॉच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री अशोक कुमार के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 भनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री अशोक कुमार द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री अशोक कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संदर्भित सभी सूचित हो।



(नियमल डिलेल)
आईएस
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कमांक-शिविरा/माध्य/संस्था/बी-३/कोके/या०१९१७९/कृष्णलाल व अन्य/१७/
प्रतिलिपि निर्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

दिनांक: 23.2.18

1. जिला शिक्षा अधिका—माध्यमिक—विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विषि अनुभाग को पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-२/जय/२९९००/आई/१७/
०६ दिनांक 19/12/17 के कम में।
4. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री उदय सिंह, ग्राम गोवलिया की ढाणी पोस्ट ककोरा चिङ्गावा, जिला झुंझनू


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री जयप्रकाश पुत्र श्री नेमीचंद, ग्राम पोस्ट भारू, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा परित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री जयप्रकाश द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री जयप्रकाश द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जॉच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जॉच उपरान्त आदेश दिनांक 10.01.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री जयप्रकाश के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री जयप्रकाश द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरिष्ठता दाले अपर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री जयप्रकाश द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

(प्रभास डिलेल)
(नियम अधिकारी
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संख्या/बी-3/कोके/या०19179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
- समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
- अनुमाग अधिकारी विधि अनुमाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/
06 दिनांक 19/12/17 के कम में।
- श्री जयप्रकाश पुत्र श्री नेमीचंद, ग्राम पोस्ट भारू, जिला झुंझनू

(प्रभास डिलेल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय—आदेश


श्री विनोद कुमार जांगिड़ पुत्र श्री कना राम जांगिड़, ग्राम पोस्ट कुडाना, जिला झुज़नू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री विनोद कुमार जांगिड़ द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री विनोद कुमार जांगिड़ द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अध्यार्थीयों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जॉच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जॉच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री विनोद कुमार जांगिड़ के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्ति प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री विनोद कुमार जांगिड़ द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अध्यार्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री विनोद कुमार जांगिड़ द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।


(नर्मल डिलोल)

आईएम

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

कमांक: शिविरा/माध्य/संख्या/बी-३/कोके/या०१९१७९/कृष्णलाल व अन्य/१७/
प्रतिलिपि निर्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।-

1. जिला शिक्षा अधिका—माध्यमिक—विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुगांग अधिकारी विधि अनुमांग को पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-२/जय/29900/आई/१७/
०६ दिनांक 19/12/17 के कम में।
4. श्री विनोद कुमार जांगिड़ पुत्र श्री कना राम जांगिड़, ग्राम पोस्ट कुडाना, जिला झुज़नू


नियुक्ति निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री कुरड़ा राम, ग्राम पोस्ट मीठवास, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा परित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री महिपाल सिंह द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री महिपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जॉच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जॉच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री महिपाल सिंह के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री महिपाल सिंह द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री महिपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हों।



(नथमल डिडेल)
नाइटेस
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

कमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोको/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/
06 दिनांक 19/12/17 के कम में।
4. श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री कुरड़ा राम, ग्राम पोस्ट मीठवास, जिला झुंझनू


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश


श्री फारुक अली पुत्र श्री सबदल खान, ग्राम पोस्ट कोलाली (महारादासी), जिला झंडूनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा परित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री फारुक अली द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री फारुक अली द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थीयों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमैर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जौच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्त आदेश जा किये जाते रहे हैं। दिमाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जौच उपरान्त आदेश दिनांक 10.01.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री फारुक अली के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री फारुक अली द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री फारुक अली द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(नर्मल डिङ्गल)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक.शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या०१९१७९/कृष्णलाल व अन्य/१७/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 23-02-18

1. जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. अनुमांग अधिकारी विधि अनुमांग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-२/जय/२९९००/आई/१७/
०६ दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री फारुक अली पुत्र श्री सबदल खान, ग्राम पोस्ट कोलाली (महारादासी), जिला झंडूनू


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्रीमती सीमा दूत पत्नी श्री रोहिताश्व, ग्राम पोस्ट पड़ेवा, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा परित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्रीमती सीमा दूत द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्रीमती सीमा दूत द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थीयों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुमत संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रनाल-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्रीमती सीमा दूत के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्थ द्वारा सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्रीमती सीमा दूत द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्रीमती सीमा दूत द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

(नथसुल डिडेल)

आईएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

कमांक: शिविरा/माध्य/संख्या/बी-३/कोके/या०१९१७९/कृष्णलाल व अन्य/१७/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (नाथ्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुमाग अधिकारी विधि अनुमाग को पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-२/जय/२९९००/आई/१७/०६ दिनांक 19/12/17 के कम में।
4. श्रीमती सीमा दूत पत्नी श्री रोहिताश्व, ग्राम पोस्ट पड़ेवा, जिला झुंझनू

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय—आदेश


श्री राजपाल गोदारा पुत्र श्री नौरंग लाल, ग्राम पोस्ट गोदारों का बास भोड़की गुढ़ा उदयपुरवाटी, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री राजपाल गोदारा द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री राजपाल गोदारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थीयों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे—जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण—पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री राजपाल गोदारा के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री राजपाल गोदारा द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ यास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री राजपाल गोदारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



(निमल डिल्ले)
आईएस
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

कमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-३/कोके/या०१९१७९/कृष्णलाल व अन्य/१७/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- जिला शिक्षा अधिकारी—माध्यमिक विधि, जयपुर
- समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक) / जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
- अनुमाग अधिकारी विधि अनुमाग को पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-२/जंय/२९९००/आई/१७/०६ दिनांक 19/12/17 के कम में।
- श्री राजपाल गोदारा पुत्र श्री नौरंग लाल, ग्राम पोस्ट गोदारों का बास भोड़की गुढ़ा उदयपुरवाटी, जिला झुंझनू


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामकुमार सिंह, ग्राम पोस्ट मिलों की ढाणी पोस्ट हेतमसर, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन भव्य मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री प्रदीप कुमार द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री प्रदीप कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जौच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जौच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री प्रदीप कुमार के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री प्रदीप कुमार द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री प्रदीप कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

(नथमल डिडेल)

आईएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. अनुमाग अधिकारी विधि अनुमाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामकुमार सिंह, ग्राम पोस्ट मिलों की ढाणी पोस्ट हेतमसर, जिला झुंझनू

संस्कृत निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय—आदेश

श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री सोहन लाल, ग्राम पोस्ट रघुनाथपुरा, जिला झुंझूनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन सभ्य मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्वीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री प्रमोद कुमार द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री प्रमोद कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे—जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण—पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 02.06.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री प्रमोद कुमार के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री प्रमोद कुमार द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरिष्यता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री प्रमोद कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

(नियमल डिले) अल्लर्स

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या०19179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. जिला शिक्षा अधिकारी—माध्यमिक—विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. अनुमांग अधिकारी विधि अनुमांग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/
06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री सोहन लाल, ग्राम पोस्ट रघुनाथपुरा, जिला झुंझूनू।

दिनांक: 23-2-18

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्रीमती विद्या चौधरी पत्नी श्री बनवारी लाल, प्लाट नं.1-393 हाउसिंग बोर्ड, जिला झुंझुनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यार्थीयों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जॉच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जॉच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्रीमती विद्या चौधरी के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।


(निशतुल डिहेल्वी)

आईएसएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. अनुमांग अधिकारी विधि अनुमांग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्रीमती विद्या चौधरी पत्नी श्री बनवारी लाल, प्लाट नं.1-393 हाउसिंग बोर्ड, जिला झुंझुनू


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय—आदेश

श्री वेद प्रकाश सैनी पुत्र श्री किशन लाल सैनी, ग्राम पोस्ट बगड़ (कायस्थपुरा), जिला झुज़नू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन रिस्थरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री वेद प्रकाश सैनी द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन रिस्थरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु नियेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री वेद प्रकाश सैनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थीयों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे—जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण—पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री वेद प्रकाश सैनी के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन रिस्थरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री वेद प्रकाश सैनी द्वारा की गई मांग वेतन रिस्थरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री वेद प्रकाश सैनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

(नथमल डिडेल)

भाईराम

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संख्या/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका—माध्यमिक—विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुमाग अधिकारी विधि अनुमाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/
06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री वेद प्रकाश सैनी पुत्र श्री किशन लाल सैनी, ग्राम पोस्ट बगड़ (कायस्थपुरा), जिला झुज़नू.

www.rajteachers.com

नियुक्ति निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री मुकेश कुमार सैनी पुत्र श्री सीताराम सैनी, चौधरियों के कुओं के पास वार्ड न.11, तहसील चिंडावा, ज़िला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा परित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री मुकेश कुमार सैनी द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री मुकेश कुमार सैनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा परित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यार्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री मुकेश कुमार सैनी के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री मुकेश कुमार सैनी द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरिष्ठता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री मुकेश कुमार सैनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।



 (निदेशक
आध्यमिक डिबिल)

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

कामांक: शिविरा/माध्य/रांथा/बी-3/कोके/या०19179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आदश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. ज़िला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/ज़िला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को पत्र कामांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री मुकेश कुमार सैनी पुत्र श्री सीताराम सैनी, चौधरियों के कुओं के पास वार्ड न.11, तहसील चिंडावा, ज़िला झुंझनू



मुकेश निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश


श्री महेश कुमार सैनी पुत्र श्री कुरडा राम सैनी, वार्ड नं.17 रानी सती मार्ग मंदिर पिलानी, जिला झुंझूनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा परित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री महेश कुमार सैनी द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री महेश कुमार सैनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा परित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थीयों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जॉच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जॉच उपरान्त आदेश दिनांक 09.07.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री महेश कुमार सैनी के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री महेश कुमार सैनी द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक घद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के सनान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री महेश कुमार सैनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।


(नर्थमल हिल्डेल)
आईएस्स
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23-2-18

कमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुमांग अधिकारी विधि अनुमांग को भत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/06 दिनांक 19/12/17 के कम में।
4. श्री महेश कुमार सैनी पुत्र श्री कुरडा राम सैनी, वार्ड नं.17 रानी सती मार्ग मंदिर पिलानी, जिला झुंझूनू

www.rajteachers.com


संस्कृत निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री सुभाष सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह, ग्राम पोस्ट खुंडोत, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा परित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन भय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री सुभाष सिंह द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री सुभाष सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अर्थात् अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री सुभाष सिंह के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में परित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री सुभाष सिंह द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अर्थर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री सुभाष सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

(निष्पत्ति डिफेल)

आईएस

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 23.02.18

कमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या०19179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. अनुमान अधिकारी विधि अनुमान को पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/
06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री सुभाष सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह, ग्राम पोस्ट खुंडोत, जिला झुंझनू


www.rajteachers.com

नियुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्रीमती संजू नेहरा पत्नी श्री विरेन्द्र सोहु, ग्राम सोहु का बास पोस्ट उदावास, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्रीमती संजू नेहरा द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्रीमती संजू नेहरा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिणेक्षण में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में घटनित अपर्यार्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विमाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्रीमती संजू नेहरा के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्रीमती संजू नेहरा द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं कात्यनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्रीमती संजू नेहरा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

(नथमल डिडेल)

आईएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 23-02-18

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संख्या/बी-३/कोके/या०19179/कृष्णलाल व अन्य/१७/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुमाग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-२/जय/29900/आई/१७/
०६ दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्रीमती संजू नेहरा पत्नी श्री विरेन्द्र सोहु, ग्राम सोहु का बास पोस्ट उदावास, जिला झुंझनू

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री राजवीर पुत्र श्री ओम प्रकाश, ग्राम ननवास पोस्ट बुहाना, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा परित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री राजवीर द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री राजवीर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जॉच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण-पत्रों की जॉच उपरान्त आदेश दिनांक 07.09.2015 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री राजवीर के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री राजवीर द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री राजवीर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

(निश्चल डिङ्गेल)

आईएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 23-02-18

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-३/कोके/या०१९१७९/कृष्णलाल व अन्य/१७/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक-विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. अनुमांग अधिकारी विधि अनुमांग को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-२/ज्य/२९९००/आई/१७/०६ दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री राजवीर पुत्र श्री ओम प्रकाश, ग्राम ननवास पोस्ट बुहाना, जिला झुंझनू

नियुक्ति निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री संजय कुमार सोमरा पुत्र श्री रावत सिंह, ग्राम मोइसन पोस्ट बुहाना, जिला झुंझनू ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा परित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन नय मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री संजय कुमार सोमरा द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री संजय कुमार सोमरा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अभ्यर्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे-जैसे अभिस्तावना प्राप्त हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जॉच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विमाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण—पत्रों की जॉच उपरान्त आदेश दिनांक 10.01.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री संजय कुमार सोमरा के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री संजय कुमार सोमरा द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अन्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री संजय कुमार सोमरा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी भूमिका

(निशतुल डिलेल)

माध्यमिक

शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 23-02-18

कमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. जिला शिक्षा अधिका—माध्यमिक—विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुमाग अधिकारी विधि अनुमाग को पत्र कमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/जय/29900/आई/17/
06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री संजय कुमार सोमरा पुत्र श्री रावत सिंह, ग्राम मोइसन पोस्ट बुहाना, जिला झुंझनू

संस्था निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय—आदेश

श्री मांगी लाल पुत्र देवी लाल, ग्राम पोस्ट मुकरका तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ ने प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/10/2017 से यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी अप्रार्थीगण को एक विस्तृत अभ्यावेदन मध्य मनोज खण्डेलवाल के निर्णय की प्रति के पेश करें तथा अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करें।

याचिकार्थी श्री मांगी लाल द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रार्थी के समान रूप से नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

याचिकार्थी श्री मांगी लाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की घालना हेतु मनोज खण्डेलवाल के निर्णय के परिपेक्ष में परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में चयनित अध्यार्थियों के राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जैसे—जैसे अभिस्तावना ग्राह्य हुई एवं नियमानुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जाँच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जा किये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 को जारी किया गया जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को इनके अनुभव प्रमाण—पत्रों की जाँच उपरान्त आदेश दिनांक 28.05.2014 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री मांगी लाल के द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त प्रथम आदेश दिनांक 13/09/2013 में नियुक्त प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16/07/2014 के परिपेक्ष में समान होने से न्यायोचित है।

याचिकार्थी श्री मांगी लाल द्वारा की गई मांग वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ वास्तविक रूप से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण तिथि से एवं काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अध्यर्थी के समान देय होंगे।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री मांगी लाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी सूचित हो।

 (निदेशक)

आईएस

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 23-02-18

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-3/कोके/या019179/कृष्णलाल व अन्य/17/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिका—माध्यमिक—विधि, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)/जिला शिक्षा अधिका (माध्यमिक)
3. अनुमान अधिकारी विधि अनुमान को पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी-2/ज्य/29900/आई/17/
06 दिनांक 19/12/17 के क्रम में।
4. श्री मांगी लाल पुत्र देवी लाल, ग्राम पोस्ट मुकरका तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़

 23.02.2018

कृष्णलाल निदेशक (क्रामिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

www.rajteachers.com